न्यायालय सहायक कलक्टर, आबूपर्वत

पीठासीन अधिकारी – श्री सिद्धार्थ पालानीचामी, आई.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
श्री हरिसिंह पुत्र गोविन्दराम, जाति माली, निवासी गोविन्द भवन खेमे का कुआ पाल रोड़, जोधपुर।		गौतम कुमार दास पुत्र श्री नामालूम, जाति ताम्बोलकर, निवासी होटल टापर्स कोनर्र सेन्टमेरी रोड़, आबूपर्वत व अन्य – 3

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 229 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 04/2023

दिनांक 24.07.2023

–: आदेश :–

प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 229 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 5/2022 में श्रीमान द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2023 के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र के तहत धारा 212 काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार/खारिज किया गया है। जिस आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। कि अप्रार्थी संख्या 01 की पत्नि प्रणतिदास खसरा संख्या 381/118 में कुछ हिस्से में खातेदार दर्ज है परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 5/2022 गौतनकुमार दास के विरूद्ध पेश की गई है। कि विवादित आराजी पर एक आवासीय पट्टा 30 बाई 30 फुट या 900 फुट या 100 गज विधि नुरूप कार्यवाही करते हुए कृषि भूमि में आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन करवाया गया है। जिस भूमि के संबंध में उपखण्ड अधिकारी आबूपर्वत द्वारा एक पट्टा विलेख मय साईड प्लान दिनांक 29.11.1983 को श्री श्याम गोविन्द माथुर पुत्र श्री जमनालाल माथुर निवासी उदयपुर के पक्ष में जारी किया गया है। पट्टा की मौका स्थिति मय साईड प्लान स्पष्ट है। यह कि श्याम गोविन्द माथुर द्वारा भूमि की सुरक्षा हेतु कम्पाउण्ड वाल बनाने की अनुमति अप्रार्थी संख्या 4 के कार्यालय के समक्ष एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर चार फीट की ऊंचाई तक कम्पाउण्ड वाल का निर्माण करवाने बाबत अनुमति क्रमांक भूमि/108/82/581 दिनांक 02.05.1997 को जारी की गई थी। खसरा नंबर 381/118 के 1 बीघा 1 बिस्वा भाग पर एक्लूजीव पेजशन चला आ रहा है। कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध अनुतोष की मांग की है परन्तु अप्रार्थी द्वारा ना ही अपने जवाबदावा या बहस में प्रार्थी के विरूद्ध कोई अनुतोष की मांग की ना ही कोई ऐसा सबूत ही पेश किया हो जिससे कि यह ज्ञात हो कि प्रार्थी को भी पाबंद करना न्यायसंगत होगा। कि अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नि इस वाद में ना ही आवश्यक पक्षकार है और ना ही उनके विरूद्ध कोई अनुतोष की मांग की गई। यह कि दिनांक 08.02.2022 को नगर पालिका आबूपर्वत की टीम द्वारा मौका मुआयना करने पर खसरा नंबर 381/118 पर गौतमकुमार दास उपस्थित था और स्वीकृति एवं टोकन की प्रति प्रस्तुत की गई एवं दिनांक 20.02.2022 को सहायक नगर नियोजक व अन्य द्वारा भी जब मौका मुआयना किया गया तब भी ऐसे ही दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। मौका पर नव निर्माण पाया गया था। यथास्थिति में बदलाव कर नव निर्माण किया गया था और स्वीकृति गौतम कु[illegible] के नाम पर थी। ऐसी स्थिति में पत्नि को सह खातेदार बता कर [illegible] कार्यवाही [illegible] जा रहा है। यह कि न्यायालय श्रीमान द्वारा पारित आदेश दिनांक [illegible].2023 [illegible] विरूद्ध पारित किया जाने से पुनरावलोकन किए जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2024.01.09 17:26:29 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर [illegible] किया गया कि यह [illegible] प्रार्थी की पत्नी श्रीमती प्रणतिदास खसरा संख्या 381/118 में 79 बिस्वा की खातेदार है। प्रार्थी द्वारा जानबूझकर उक्त तथ्य को छुपाकर अप्रार्थी गौतम कुमार दास के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जबकि अप्रार्थी द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्पष्ट कर दिया गया था कि

सहायक कलक्टर
आबूपर्वत (सिरोही)

खसरा संख्या 381/118 में 79 बिस्वा की खातेदार श्रीमति प्रणति दास है एवं श्रीमति प्रणतिदास का खसरा संख्या 381/118 की 79 बिश्वा कृषि भूमि पर कब्जा काश्त है। अप्रार्थी का खसरा संख्या 381/118 की भूमि पर कोई भी कब्जा एवं उपयोग उपभोग नही है इसके बावजूद प्रार्थी ने जानबूझकर श्रीमति प्रणतिदास को उक्त प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया क्योंकि खसरा संख्या 381/118 जिसका रकबा 54 बीघा है एंव श्रीमति प्रणतिदास संयुक्त खातेदार है एवं अपने हिस्से पर काबिज काश्त है के विरूद्ध स्थगन का वाद विधि अनुसार मेंटेनेबल नहीं है इस कारण प्रार्थी ने जानबूझकर वाद गलत तथ्यों के आधार पर गौतम कुमार दास को पक्षकार बनाकर प्रस्तुत किया क्योंकि अगर प्रार्थी श्रीमति प्रणति दास को पक्षकार बनाता तो विधि अनुसार वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित था। यह कि श्याम गोविंद माथुर को 900 फुट का पट्टा अवश्य जारी किया गया किंतु साइट प्लान बिना पैमाने के बना होने से साइट प्लान में मौके की स्थिति स्पष्ट नहीं है। यहां यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि खसरा संख्या 381/118 रकबा 54 बीघा का आज तक विभाजन नहीं हुआ है एवं उक्त खसरा संख्या 381/118 के विभाजन का वाद माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष विचाराधीन है इन तथ्यों को छिपाकर प्रस्तुत किया जो तथ्य माननीय न्यायालय श्रीमान के जानकारी पर आने पर माननीय न्यायालय श्रीमान द्वारा बाद सुनवाई विधि अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया गया । यह कि श्री श्याम गोविंद का कभी भी खसरा नंबर 381/118 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा पर एक्सक्लूसिव पजेशन नहीं रहा एवं नही विधि अनुसार संयुक्त खातेदारी की भूमि पर किसी संयुक्त खातेदार का एक्सक्लूसिव पजेशन विधि अनुसार हो सकता है अपितु खसरा संख्या 381/118 की कृषि भूमि पर सभी खातेदारान का कब्जा है जब तक की उक्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि का विभाजन नही हो जाता । प्रार्थी ने जानबूझकर वास्तविक तथ्यों को छुपाकर यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया है जिससे कि वह न्यायालय को गुमराह कर स्थगन आदेश अप्रत्यक्ष रूप से श्रीमति प्रणति दास के विरूद्ध प्राप्त कर सके किंतु उसमें असफल होने के कारण यह प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्टया ही विधि अनुसार मेंटेनेबल नहीं होने से खारिज योग्य है। यह कि माननीय न्यायालय श्रीमान को धारा 151 सीपीसी के तहत इन्हेरेंट पावर होने से माननीय न्यायालय श्रीमान द्वारा अपने इन्हेरेंट पावर का उपयोग करते हुए प्रार्थी को पांबद किया गया है। यह कि न्यायालय आदेश से अगर कोई व्यक्ति व्यथित हैं तो वह अपीलीय न्यायालय में अपील कर सकता है किंतु प्रार्थी का यह कथन कि ऐसी पांबदी से आत्मसम्मान को प्रार्थी के ठेस पहुंची है पूर्णतया गलत है। न्यायालय द्वारा विधि अनुसार आदेश पारित किया जाता है एवं न्यायालय आदेश से किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचती है। यह कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 7 में वर्णित कथन का जवाब है कि दिनांक 08 फरवरी 2022 को श्रीमति प्रणति दास एवं गौतम कुमार दास जो कि श्रीमति प्रणति दास का पति है मौके पर मौजूद थे। श्री गौतम कुमार दास को उसके खातेदारी एवं आवासीय रूपांतरित अन्य खसरा नंबर की भूमि पर बाउंड्री वाल वायर फेंसिग हेतु टोकन जारी किए गए है। श्री गौतम कुमार दास को जो स्वीकृति प्रदान की गई है वह उसके स्वामित्व की आवासीय भूमि एवं अन्य खसरा नंबर की कृषि भूमि हेतु जारी किए गए हैं। खसरा नंबर 381/118 की खातेदार श्रीमति प्रणति दास है जो जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है इस तथ्य को छुपाकर प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष वाद प्रस्तुत किया गया है क्योंकि श्रीमति प्रणतिदास के विरूद्ध विधि अनुसार वाद परिपोषणीय नही है एवं श्रीमति प्रणति दास के विरूद्ध प्रार्थी कोई अनुतोष प्राप्त करने का विधि अनुसार अधिकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पद संख्या 09 गलत होने से अस्वीकार है एवं यह कि माननीय न्यायालय श्रीमान द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 13 फरवरी 2023 को आदेश पारित किया गया जो विधि अनुसार पारित किया गया है प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि माननीय न्यायालय श्रीमान का आदेश दिनांक 13 फरवरी 2023 किस प्रकार विधि विरूद्ध है इस कारण प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही पुनरावलोकन का विधि अनुसार परिपोषणीय नहीं होने से खारिज योग्य है मात्र प्रार्थी द्वारा यह लिख देने से की माननीय न्यायालय का आदेश दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2024.01.09 17:26:29 IST
Reason: SelfAttested

13.02.2023 विधि विरूद्ध पारित किया गया है प्रार्थी को पुर्नवालोकन प्रस्तुत करने का कारण पैदा नहीं हो जाता है। यह कि प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पुर्नवालोकन हेतु प्रस्तुत किया गया है जो प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों के आधार पर प्रथम दृष्टया ही मेनटेनेबल नही होने से खारिज योग्य है। रिव्यू का स्कोप सिमित है एवं प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित नही किया है कि माननीय न्यायालय श्रीमान द्वारा पारीत आदेश दिनांक 13.02.2022 मे एरर अपेरेन्ट आन फेस ऑफ रिकार्ड हो। आदेश 47 नियम 01 सीपीसी के प्रावधानों अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि अनुसार परिपोषनीय नहीं होने से खारिज योग्य है।

हमने उभय पक्ष बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन व मनन किया तथा पाया कि धारा 229 आर.टी.एक्ट के अंतर्गत पुनर्विलोकन (रिव्यू) तभी स्वीकार की जाती है जब निर्णय/आदेश में कोई स्पष्ट त्रुटि हो । राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 5/2022 में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.02.2023 में धारा 212 आर.टी.एक्ट के तीन घटको प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का विस्तृत व्याख्या कर अंकन किया गया है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट क्यों खारिज किया जाता है। अतः इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.02.2023 में कोई त्रुटि प्रकट नही हो रही है। प्रार्थी राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 5/2022 में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 13.02.2023 से असंतुष्ट है तो सक्षम न्यायालय में अपील कर सकते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 229 आर.टी.एक्ट परिपोषणीय नही होने से खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक २५.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ पालानीचामी) I.A.S.
सहायक कलक्टर, आबूपर्वत
आबूपर्वत (सिरोही)

न्यायालय सहायक कलक्टर आबूपर्वत (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Siddharth Palanichamy
Date: 2024.01.09 17:26:29 IST
Reason: SelfAttested